investments. But this is merely a matter of language Language is a vehicle of thought Many people speak in different ways But both mean the same

Relaxation of Restrictions on Season Ticket Holders on Paschim Express

*762 SHRI SOMJIBHAI DAMOR Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state

(a) whether the additional restriction was relaxed for season ticket holders for travel by Air Conditioned express (Deluxe) Paschim Express during August 1975 till further notice, and

(b) if so the reasons for not relaxing it present between Vadodara and Dohad?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF MADHU DANDAVATE) (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) Season ticket holders are not permitted to travel by 25 Dn/26 UP A C Express (Deluxe)/Paschim Express trains Due to extensive breaches train services were drastically curtailed during August/September, 1976 Season ticket holders were temporarily permitted to travel by these trains between Godhra and Vadodara upto 30-9-1976 This was done only as a temporary measure to alleviate the difficulties of daily passengers till normalcy was restored.

(b) These trains cater for long distance passengers and the occupation being heavy, season ticket holders cannot be permitted between Dohad and Vadodara

श्री सोमजी भाई डामोर : माननीय अध्यक्ष जी, पहले रेलो मे भ्रष्टाचार चलता था, अब रेलो मे व्यभिचार दाखिल कर दिया गया है। यह गाडी सुबह 7 बजे दोहद आती है, वहा पर पैसेन्जर्स मूत्रालय में और दूसरी जगहो पर बुरी तरह से भर जात है। मे यह पूछना चाहता हू—जिस तरह से फस्ट क्लास मे पैसेन्जर दिन मे बैठ सकता है, क्या उसी तरह की सुविधा स्लीपर काच मे बैठने के लिए आठ आना कर देगे ?

प्रो० मधु दण्डवते मान्यवर, जो मूल प्रश्न पूछा गया है, उस से यह प्रश्न विपरीत है। फिर भी मै माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हू — दमन गगा का पुल टूट जाने के बाद जब उस की रिपेअर का काम शुरू हुआ उस समय लागो को ट्राशिपमेण्ट की सुविधा देने के लिए हम लागो ने इजाजत दी थी। उन्होने अपने प्रश्न मे जो डैटस दी है, व गलत है। उन्होने अगस्त 1975 का जिक्र किया है वे एक साल पीछे है। अगस्त 1976 से सितम्बर 1976 के बीच सीजन टिकट होल्डर्स को यह सुविधा दी गई थी। उस समय वहा पर डीलक्स और पश्चिम एक्सप्रैस—दो गाडिया चलती थी। दूसरी गाडिया रद्द कर दी गई थी, फ्रण्टीयर मेल को मेण्ट्रल रेलवे से डायवर्ट कर दिया गया था। इस लिए सीजन टिकट होल्डर्स को इन गाडियो से जाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन जैसे ही ब्रिज रीकस्ट्रक्ट हो गया यह ट्राशिपमेण्ट की सुविधा रद्द कर दी गई और पुरानी स्थिति का रेस्टोर कर दिया गया। इस लिए इस मे किसी पुरानी सुविधा को रद्द करने का सवाल नही है।

श्री सोमजी भाई डामोर मैंने यह पूछा था कि आप सीजन टिकट वालो को इस मे एलाऊ नही करते है। जब फर्स्ट क्लास मैं पैसेन्जर दिन मे भी उन गाडियो से ट्रेवल कर सकता है तो आप इन लोगो को भी स्लीपर कोच में एलाऊ कीजिये। इस समय 15 या 20 रुपया देकर जगह मिल जाती है। अगर आप एलाऊ कर देगे तो जो करप्शन वहा चल रही है, वह बन्द हो जायगी। क्या ऐसी सुविधा देगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप ने डीलक्स और पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियों का जिक्र किया, ये दोनों गाड़ियां लम्बे सफर की गाड़ियां हैं। हमारे पास लगातार यह मांग आती रही है कि जब हम दिल्ली से बम्बई के लिए सफर करते हैं और इतना पैसा खर्च करते है, अगर दूसरे यात्रियों को इन में आने की इजाजत देंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी। यदि आप इन दोनों गाड़ियो की आक्यूपेशन की फिगर्स को देखें तो आपको मालूम होगा कि इन में आक्यूपेशन 139 परसेंट है। रिजर्व्ड और अन-रिजर्व्ड दोनों की हर महीने की फिगर्स मेरे पास है, लेकिन मै सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हू, एवरेज आक्यूपेशन 139 परसेंट है, 100 की जगह है लेकिन 139 लोग आते हैं। ऐसी हालत में लोंग डिस्टेंस पैसेन्जर्स जब अपना रिजर्वेशन करा कर जाते है, अगर सीजन पास-होल्डर्स को उन कम्पार्टमेंट में जाने की इजाजत दे दें, तो लांग डिस्टेंस पैसेण्जर्स को काफी तकलीफ होगी और इस सदन में भी यह कहा जाता रहा है कि लांग डिस्टेंस ट्रेन्स में अनरिजर्व्ड लोगों को रिजर्व्ड कम्पार्टमेंट्स में सफर करने की इजाजत न दी जाए क्योंकि इस से उन को तकलीफ होती है।

Recommendations of Law Commission

†

*763. SHRI MANORANJAN BHAKTA:

SHRI PRADYUMNA BAL:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the action taken by Government on the recommendations contained in the 58th Report of the Law Commission on structure and jurisdiction of the higher judiciary in respect of the following matters:

(1) appeals in criminal cases;

(2) retirement age; and

(3) grant of other benefits to judges of High Courts and Supreme Court?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2127/78].

SHRI MANORANJAN BHAKTA: The Law Commission suggested that the Constitution should be amended to restrict the criminal appeals to the Supreme Court and therefore in the statement laid by the hon. Minister, it is stated that article 134 (1) (c) of the Constitution would be amended along with articles 132 and 133 which is under consideration of the Government. May I know what will be the salient features of the amendment?

MR. SPEAKER: It is under consideration.

SHRI SHANTI BHUSHAN: The matter is still under consideration. So long as the matter is still under consideration and a decision has not been taken, obviously I would not be in a position to say what will be the shape of the final amending bill

SHRI MANORANJAN BHAKTA: The High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 were amended in 1976. Considering the suggestions made by the Law Commission, sometimes it appears much more benefits have been provided by the amendments of 1976. That was the time of the emergency and there was very often criticism in this House and outside regarding committed judges, etc. In view of the changed political situation, I want to know whether the government is thinking of re-examining the whole amendment made during that period?